

रजिस्ट्री सं. डी. एच. -33004/94

REGD. NO. D.L.-33004/94



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)  
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 290] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 7, 1994/आषाढ़ 16, 1916  
No. 290] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 7, 1994/ASADHA 16, 1916

कामिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कामिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 1994

ना. का. ति. 564(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उप-धारा (2) के खंड (घ), (ङ) और (च) तथा धारा 36 के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कार्यविधि) नियमावली, 1987 में और उसके संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1.(1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कार्यविधि) संशोधन नियमावली, 1994 है।

1629 GI/92

(1)

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कार्यविधि) नियमावली, 1987 नियम 21 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा।

“21. आदेशों का प्रकाशन (i) अधिकरण अपने उन निर्णयों को जिनको प्रकाशन के लिए उचित समझता है, भारतीय विधि रिपोर्ट-केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण-19—(संक्षेप में—भा. वि. रि. (आई. एल. यार.)-के. प्र. ग्र. (कैट)-19—)” में प्रकाशित कर सकता है।

(ii) अधिकरण के ऐसे आदेश, जो किसी अन्य प्राधिकृत रिपोर्ट या प्रेस में प्रकाशन के लिए उचित समझे जाएं तो उन्हें ऐसे नियंत्रकों और जर्नों पर जहाँ अध्यक्ष किसी गामाच्य या विशेष आदेश द्वारा ग्यानिदिष्ट करे, ऐसे प्रकाशन के लिए नियन्त्रित किया जा सकेगा।”

[सं. ए-11013/49/92-प्र. ग्र.]

सविता प्रसाद, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र मा. का. नि. 17(ई.) द्वारा दिनांक 6-1-1987 को प्रकाशित किए और तदनुसार निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए—

(i) संख्या मा. का. नि. 1000(ई), दिनांक 11-10-1988

(ii) संख्या मा. का. नि. 99(ई), दिनांक 26-2-1991

(iii) सं. मा. का. नि. 557(ई), दिनांक 4-9-1991

## MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 1994

G.S.R. 564(E).—In exercise of the powers conferred by clause (d), (e) and (f) of sub-section (2) of section 35 and clause (c) of section 36 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 1987, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Administrative Tribunal (Procedure) Amendment Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 1987, for rule 21, the following rule shall be substituted, namely :—

“21. Publication of orders : (i) The Tribunal may publish its decisions which are deemed fit for publication, in a report entitled “Indian Law Report—Central Administrative Tribunal—19———”(for short ‘ILR—CAT—19———’).”

(ii) Such of the orders of the Tribunal, as are deemed fit for publication in any other authoritative report or the press, may be released for such publication on such terms and conditions as the Chairman may specify by general or special order.”

[No. A. 11015/49/92-AT]

SARITA PRASAD, Jt. Secy.

Foot note :—The Principal Rules were published in the Gazette of India vide GSR 17(E), dated 6-1-1987 and subsequently amended vide —

- (i) No. GSR 1000(E), dated 11-10-1988.
- (ii) No. GSR 99(E), dated 26-2-1991.
- (iii) No. GSR 557(E), dated 4-9-1991.